

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन-बल, प्रमुख, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ. 3378

दिनांक : 05/08/2022

सूचना

राजस्थान राज्य सिविल सेवा सी. एस. चैलेन्जर कप की अष्टम् टेनिस तथा चतुर्थ बेडमिटन प्रतियोगिता 2022-23 का आयोजन जयपुर जिले में दिनांक 19.11.2022 से 21.11.2022 तक कराया जाना प्रस्तावित है। जिसमें भारतीय वन सेवा एवं राजस्थान वन सेवा के अधिकारियों की पृथक-पृथक 11 सदस्यीय [7 पुरुष खिलाड़ी (5+2 Veteran) एवं 4 महिला खिलाड़ी] टीम द्वारा प्रतिस्पर्धा में भाग लिया जाना है। अधिकारीगण एक ही खेल प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं।

अतः प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक अधिकारीगण श्री सुरेश गुप्ता (9462881461) / श्री पंकज कसाना (9602167243) से संपर्क करें।

(के.सी.ए. अरूण प्रसाद)
अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(मुख्यालय) राजस्थान जयपुर

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-5/खेल विंग) विभाग

क्रमांक : 15(7)/का/क-5/खेल विंग/2022

जयपुर, दिनांक -27 JUN 2022

1. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्र. शासन सचिव/
शासन सचिव, वि. शासन सचिव
2. समस्त संभागीय आयुक्त
3. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान
4. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान

विषय :- अष्टम राजस्थान राज्य सिविल सेवा सी.एस. चैलेन्जर कप टेनिस प्रतियोगिता तथा चतुर्थ राजस्थान राज्य सिविल सेवा सी.एस. चैलेन्जर कप बेडमिंटन प्रतियोगिता 2022-23 के आयोजन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि कार्मिक विभाग के तत्वाधान में जिला कलक्टर, जयपुर के माध्यम से अष्टम राजस्थान राज्य सिविल सेवा सी.एस. चैलेन्जर कप टेनिस तथा चतुर्थ राजस्थान राज्य सिविल सेवा सी.एस. चैलेन्जर कप बेडमिंटन प्रतियोगिता 2022-23 का जयपुर जिले में दिनांक 19.11.2022 से 21.11.2022 तक आयोजन कराया जाना प्रस्तावित है।

कृपया प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीम की सूचना दिनांक 08.09.2022 तक प्रतियोगिता के आयोजनकर्ता जिला कलक्टर, जयपुर को आवश्यक रूप से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। प्रतिभाशाली अधिकारियों/कर्मचारियों की प्रतियोगिता में व्यापक भागीदारी हो सके, इस हेतु कृपया समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को सूचित करने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार कराने का श्रम करावें।

संलग्न : दिशा-निर्देश

भवदीय

(मुकुट बिहारी जांगिड)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि संलग्न दिशा-निर्देशों के अनुसार उक्त प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु आवश्यक व्यवस्था कराने का श्रम करावें। इस हेतु संबंधित बजट की रवीकृति पृथक से जारी की जायेगी।
2. एसीपी, कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र एवं संलग्न दिशा-निर्देशों को विभागीय वेबसाईट पर न्यूज बोर्ड पर अपलोड/डिस्प्ले कराने का श्रम करावें।
3. अवधाता, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र एवं संलग्न दिशा-निर्देशों को शासन सचिवालय के समस्त नोटिस बोर्ड पर चस्था कराने का श्रम करावें।

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान राज्य सिविल सेवा सी.एस. चैलेन्जर कप टेनिस एवं बैडमिंटन प्रतियोगिता हेतु दिशा-निर्देश

1. **प्रतियोगिता का नाम, अवधि तथा स्थान :-** इस प्रतियोगिता का नाम अष्टम राजस्थान राज्य सिविल सेवा सी.एस. चैलेन्जर कप टेनिस प्रतियोगिता तथा चतुर्थ राजस्थान राज्य सिविल सेवा सी.एस. चैलेन्जर कप बैडमिंटन प्रतियोगिता 2022-23 होगा। यह प्रतियोगिता दिनांक 19.11.2022 से 21.11.2023 तक जिला कलक्टर, जयपुर के माध्यम से जयपुर जिले में आयोजित कराई जायेगी।

2. **प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीमों के नाम एवं एनट्री भेजने का माध्यम :-**

क्र.स.	खेल का नाम	भाग लेने वाली टीम का नाम	एनट्री भेजने का माध्यम	
1.	टेनिस	बैडमिंटन	राजस्थान मंत्री परिषद्	अति. मुख्य सचिव, मंत्रिमण्डल, शासन सचिवालय, जयपुर
2.	टेनिस	बैडमिंटन	भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS)	संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
3.	टेनिस	बैडमिंटन	भारतीय पुलिस सेवा (IPS)	शासन सचिव, गृह विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
4.	टेनिस	बैडमिंटन	भारतीय वन सेवा (IFS)	शासन सचिव, वन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
5.	टेनिस	बैडमिंटन	राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS)	संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-4/1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
6.	टेनिस	बैडमिंटन	राजस्थान पुलिस सेवा (RPS)	शासन सचिव, गृह विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
7.	टेनिस	बैडमिंटन	राजस्थान लेखा सेवा (RACS)	निदेशक, लेखा, वित्त भवन, जयपुर
8.	टेनिस	बैडमिंटन	राजस्थान वन सेवा (RFS)	शासन सचिव, वन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
9.	टेनिस	बैडमिंटन	राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा (RCTD)	आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, सहकार मार्ग, जयपुर
10.	टेनिस	बैडमिंटन	राजस्थान परिवहन सेवा (RTNS)	आयुक्त, परिवहन विभाग, सहकार मार्ग, जयपुर
11.	टेनिस	बैडमिंटन	राजस्थान सचिवालय सेवा (RSS)	संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
12.	टेनिस	बैडमिंटन	राजस्थान चिकित्सा सेवा एवं चिकित्सा शिक्षा सेवा	शासन उप सचिव, चिकित्सा (ग्रुप-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
13.	टेनिस	बैडमिंटन	राजस्थान आयोजना सेवा	विशिष्ट शासन सचिव, आयोजना विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
14.	टेनिस	बैडमिंटन	राजस्थान कॉलेज शिक्षा सेवा	आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, शिक्षा संकुल, जयपुर
15.	टेनिस	बैडमिंटन	राजस्थान अभियांत्रिकी सेवा (सा.नि.वि., सिंघाई, जन स्वा.अभि. वि.)	संयुक्त शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
16.	टेनिस	बैडमिंटन	राज्य बीमा सेवा	निदेशक, राजस्थान राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
17.	टेनिस	बैडमिंटन	राजस्थान कृषि सेवा	आयुक्त, कृषि विभाग, कृषि पत भवन, जयपुर
18.	टेनिस	बैडमिंटन	राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा (RRDS)	संयुक्त शासन सचिव, प्रशासन-1, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
19.	टेनिस	बैडमिंटन	राजस्थान शिक्षा सेवा (RES)	संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
20.	टेनिस	—	अन्य कैडर सेवा (OCS) (IRS, RHJS or Equivalent Officers)	शासन उप सचिव, कार्मिक (क-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
21.	टेनिस	बैडमिंटन	राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार सेवा (DOIT)	निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।

3. **खेलवार खिलाड़ियों की संख्या :-**

क्र.स.	प्रतियोगिता का नाम	खिलाड़ियों की संख्या	खिलाड़ियों की कुल संख्या
1.	8th Rajasthan State Civil Services CS Challenger Cup Tennis Tournament	11 सदस्यीय टीम (7 पुरुष खिलाड़ी (5+2 Veterans)+ 4 महिला खिलाड़ी)	11 सदस्य x 20 टीम = 220
2.	4th Rajasthan State Civil Services CS Challenger Cup Badminton Tournament	11 सदस्यीय टीम (7 पुरुष खिलाड़ी (5+2 Veterans)+ 4 महिला खिलाड़ी)	11 सदस्य x 19 टीम = 209
कुल खिलाड़ी			429

4. **किट (खेल पोशाक) :-**

- सभी टीमों को निर्धारित किट (खेल पोशाक) के साथ ही प्रतियोगिता में सम्मिलित किया जायेगा।
- खेल पोशाक पर खेल नियमानुसार चेरट नम्बर अंकित होना आवश्यक है।
- सभी टीम के प्रतिभागियों को निर्धारित किट (फुल ट्रेक सूट, नेकर एवं टी-शर्ट/बनियान) एवं फ्लेग आयोजनकर्ता (संबंधित जिला कलक्टर) के द्वारा उपलब्ध करवाया जायेगा।

5. **प्रतियोगिता (इवेंट) का निरस्तीकरण :-**

- टेनिस एवं बैडमिंटन में पर्याप्त एवं स्तरीय प्रविष्टि प्राप्त नहीं होने पर संबंधित खेल के इवेंट को निरस्त करने का अंतिम निर्णय आयोजन समिति के अध्यक्ष का होगा।
 - महिलाओं की श्रेणी में कम से कम 4 एनट्री प्राप्त होने पर ही प्रतियोगिता आयोजित की जायेगी।
6. **प्रतियोगिता का प्रचार-प्रसार :-** संबंधित विभागों द्वारा प्रचार-प्रसार किये जाने के लिए की गई कार्यवाही का पत्र/आदेश की प्रति शासन उप सचिव, कार्मिक (क-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को भिजवाई जायेगी तथा समाचार पत्र/SMS/e-mail/whatsapp के माध्यम से भी प्रचार-प्रसार किया जायेगा।

7. **टीम के चयन की प्रक्रिया :-**

- टीम के चयन हेतु :- संबंधित विभाग द्वारा अपने विभाग की टीम के चयन ट्रायल के लिए खिलाड़ी अधिकारियों के आवेदन पत्र सक्षम अधिकारी के माध्यम से निम्न प्रारूप में आमंत्रित करेंगे :-

क्र.स.	खेल का नाम	नाम	पदनाम	विभाग	मोबाईल न.	e-mail id
--------	------------	-----	-------	-------	-----------	-----------

- विभाग द्वारा किसी खिलाड़ी अधिकारी/कर्मचारी को रितीव नहीं करने का निर्धारित समय पर स्पष्ट कारण सहित पूर्ण सूचना भिजवानी होगी।
- यदि कर्मचारी/अधिकारी स्वयं विभागाध्यक्ष है, तो प्रशासनिक विभाग को भी प्रति भिजवानी होगी।

- प्रत्येक प्रतियोगी को अपने नियंत्रणाधीन अधिकारी से नवीन पासपोर्ट साईज के फोटो युक्त परिचय पत्र प्रमाणित करवाकर साथ लाना अनिवार्य होगा, अन्यथा प्रतियोगिता में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- आवेदन पत्रों का संकलन :- संबंधित विभाग द्वारा अपने विभाग की टीम के चयन ट्रायल के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की सूचना खेलवार संकलित कर संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को उक्त प्रारूप में भिजवाई जायेगी।
- चयनित टीम की सूचना :- संबंधित विभाग द्वारा अपने विभाग की टीम के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों के अनुसार उपस्थित खिलाड़ियों में से टीम का चयन कर सूचना निम्न प्रारूपानुसार प्रतियोगिता के आयोजनकर्ता जिला कलक्टर जयपुर को भिजवाते हुये प्रतिलिपी संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को भी भिजवाई जायेगी :-
 - प्रतियोगिता का नाम
 - टीम का नाम
 - खेल का नाम
 - चयन ट्रायल का स्थान
 - चयन किये जाने खिलाड़ियों की संख्या
 - चयनित खिलाड़ियों का विवरण निम्न प्रारूपानुसार

कस	खेल का नाम	नाम	पदनाम	विभाग	मोबाईल न.	e-mail id
----	------------	-----	-------	-------	-----------	-----------

- हस्ताक्षर चयनकर्ता (नाम गय पदनाम)
- रिजल्ट शीट :- खेल में चयन हेतु तैयार की गई रिजल्ट शीट भी भेजी जावें।
- 8. प्रतियोगिता का प्रारूप :-
 - प्रतियोगिता में किसी भी टीम के निर्धारित समय से 15 मिनट पश्चात् तक भी प्रतियोगिता स्थल पर रिपोर्ट नहीं करने की स्थिति में उपस्थिति विपक्षी टीम को वॉकओवर देकर विजेता घोषित कर दिया जायेगा।
 - यदि किसी प्रतियोगी को रैफरी के निर्णय पर कोई आपत्ति हो तो वह मैच समाप्त होने के आघा घण्टे के भीतर रु. 500/- जमा कराकर प्रोटेस्ट कर सकता है।
 - प्रोटेस्ट पर आयोजन समिति के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।
 - सभी खिलाड़ियों को खेल के दौरान अनुशासन का पूर्ण रूप से पालन करना होगा तथा खेल सद्भावना एवं खेल भावना के साथ खेलना होगा।
 - खेल के दौरान अनुशासनहीनता पर खिलाड़ी को प्रतियोगिता से रैफरी के द्वारा बाहर किया जा सकता है।
 - अनुशासनहीनता की अपील बाद में आयोजन समिति को आधे घण्टे में करनी होगी, जिस पर आयोजन समिति के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।
 - अधिकारी एक खेल में ही भाग ले सकेंगे। दो खेलों में भाग लेने पर संबंधित टीम को प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जायेगा।
 - भाग लेने वाले खिलाड़ियों को रैकेट स्वयं के लाने होंगे तथा उसके टूटने अथवा गुम होने की जिम्मेदारी आयोजनकर्ता तथा खेल परिषद की नहीं होगी।
- 9. खेल के नियम :-
 - प्रतियोगितायें वर्तमान में प्रचलित राष्ट्रीय स्तर के नियमों के आधार पर आयोजित की जायेगी।
 - प्रतियोगिता के दौरान रैफरी का निर्णय अंतिम होगा।
 - सभी मैच लीग कग नॉक आउट आधार पर खेले जायेंगे।
 - प्रतियोगिता टीम स्पर्धा के रूप में आयोजित की जायेगी।
 - सभी मैच बेस्ट ऑफ थ्री के फॉरमेट में आयोजित किये जायेंगे। प्रथम मैच पुरुष डबल, द्वितीय मैच वेटर्न (45 वर्ष से उपर) डबल, तृतीय मैच पुरुष सिंगल का होगा।
 - केवल एक खिलाड़ी अधिकतम दो मैचों में भाग ले सकेगा।
- 10. राज्य सरकार द्वारा देय सुविधा :- प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कार्मिकों को ऑन ड्यूटी माना जायेगा एवं नियमानुसार टीए/डीए देय होगा।
- 11. प्रतियोगिता में तकनीकी सहयोग :-
 - रैफरी को रु. 300/- प्रतिदिन की दर से मानदेय दिया जायेगा।
 - प्रतियोगिताओं के सफल संचालन के लिए क्वालीफाईड रैफरी संबंधित स्थानीय संघ/शिक्षा विभाग से लिये जायेंगे।
 - आयोजनकर्ता के सहयोग हेतु खेल अधिकारी, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ऑब्जरवर के रूप में उपस्थित रहेंगे।
- 12. आयोजनकर्ता के कार्य :-
 - उद्घाटन एवं समापन समारोह की व्यवस्था।
 - प्रतियोगिता अवधि एवं समारोह के लिए टेंट/भाईक आदि की व्यवस्था।
 - प्रमाण-पत्र, पुरस्कार (स्वर एवं विनर) एवं स्मृति चिन्ह की व्यवस्था।
 - प्रतियोगिता के संचालन, मैदान एवं खेल उपकरण की व्यवस्था।
 - टीमों के आवास व्यवस्था आदि।
 - अन्य आवश्यक व्यवस्था एवं कार्य।
 - प्रतियोगिता में किसी भी प्रकार का वाद-विवाद होने पर अंतिम निर्णय आयोजनकर्ता का होगा।
 - प्रतियोगिता आयोजनकर्ता प्रतियोगिता की प्रगति रिपोर्ट मान. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार को भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(मुकुट बिहारी जांगिड़)
संयुक्त शासन सचिव